UPRN010006942026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 346/2026

1– विकास उर्फ मनीष कुमार उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम टुटुई थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

2– श्रीमती राखी उम्र लगभग 24 वर्ष पत्नी संदीप कुमार निवासिनी ग्राम मंगलुर थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात।

3– छोटू उर्फ शिवम कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र रमेश निवासी ग्राम बहरामपुर थाना बिल्हौर जिला कानपुर नगर।

........प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

प्रति

उ0 प्र0 सरकार द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ,कानपुर देहात ।

.............विपक्षी।

मु0 अ0सं0 215/2024

धारा– 3(5),115(2),110,352,351(3) बी0एन0एस0

थाना– मंगलपुर जिला कानपुर देहात।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विकास उर्फ मनीष कुमार, श्रीमती राखी व छोटू उर्फ शिवम कुमार के द्वारा मु0 अ0सं0 215/2024 धारा– 3(5), 115(2), 110,352,351(3) बी0एन0एस0 थाना– मंगलपुर जिला कानपुर देहात में जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती सूरजमुखी के द्वारा थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात में तहरीर के आधार पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति बच्चीलाल वर्तमान में चौकीदार है। उसके गांव में दिनांक 20.8.2024 की रात्रि दस बजे गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था, उसके पति चौकीदार होने के कारण विवाद को शान्त कराने के लिए मौके पर पहुंचे तो गांव के विकास, संदीप, उसका साला छोटू, सुखवीर, रजोल, छुल्लान, बहादुर, राखी के द्वारा लाठी–डण्डों व धारदार औजार से उसके पति चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया तथा गाली गलौज व मारपीट की जिससे सिर व सीने में व पैरों में गम्भीर चोटें हैं व जान से मारने की धमकी भी दी। माती से कानपुर हैलट के लिए रेफर कर दिया जिनका इलाज

चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में झूठा एवं रजिशन फंसाया गया है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तथा झूठी पुरानी इंजरी दिखाकर मेडिकल कराया जाकर पुलिस से साज–बाज करके मुकदमा कायम कराया गया है तथा आरोप निराधार है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखाई गयी एफ0आई0आर0 में किस मुल्जिम ने किस औजार से मारा है, इसका वर्णन एफ0आइ0आर0 में नहीं दर्शाया गया है घटना दिनांक 20.8.2024 की रात्रि 10 बजे की बताई जाती है और रिपोर्ट दिनांक 2.9.2024 को लिखाई जाती है, देरी का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का उक्त केस का क्रास केस है। दोनों मुकदमों में चार्ज शीटें माननीय न्यायालय में आ चुकी हैं। कोई गम्भीर चोट नहीं पाई गयी है तथा सी0 टी0 स्कैन रिपोर्ट के आधार पर डाक्टरों के बयानों के आधार पर कोई डेन्जरस चोट नहीं पाई गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। अतः जमानत की याचना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि एफ0आई0आर0 में लाठी व डण्डो व धारदार औजार का उपयोग किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उ0प्र0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3(5), 115(2), 110, 352, 351(3) बी0एन0एस0 में पत्रावली पर संलग्न है। तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति बच्चीलाल को चोटें पहुंचाना बताया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटहिल के तीन चोट लेसरेटेड वुण्ड की तथा एक चोट कन्टयूशन की पाई गयी है। चोटों की प्रकृति साधारण बताई गयी है। सी0 टी0 स्कैन रिपोर्ट में चुटहिल के किसी प्रकार का कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया तथा कोई चोट गम्भीर नहीं पायी गयी। आवेदकगण/अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर हैं। उनके विरूद्व इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि उनके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूप्रयोग किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा मामले से संबंधित सह अभियुक्तगण संदीप कठेरिया, रजोल उर्फ अरविन्द, छुल्लन, राजबहादुर एवं सुखवीर की जमानत दिनांक 10.9.2025 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेंटर ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021)10 एस0सी0सी0 773** के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किए हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तद्वनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण विकास उर्फ मनीष कुमार, श्रीमती राखी व छोटू उर्फ शिवम कुमार प्रत्येक के द्वारा मु0 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक द्वारा इतनी ही राशि के दो प्रतिभू सहित संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निस्पादित करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक 25.3.2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात ।
आई0 डी0 नं0 UP 6042

Digitally signed by RAJAT SINHA
Date: 2026.03.25 16:22:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court